

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

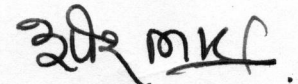
क्रमांक : एफ.4(ई)के-1534 / 2013 / लिंक.नं.12078 / अलेसे-III / 2332

दिनांक : 22-12-2021

कार्यालय आदेश

श्रीमती कोमल जाट, कनिष्ठ लेखाकार को चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा (जयपुर) के पत्र क्रमांक 903 दिनांक 18.11.2021 द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार दिनांक 29.11.2021 से 10.12.2021 तक भ्रमण हेतु दुबई जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है ।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में उहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन / फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगी।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय / विदेश सेवा गृहण नहीं करेगी।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)के-1534 / 2013 / लिंक.नं.12078 / अलेसे-III / 2332

दिनांक : 22-12-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा (जयपुर) को उनके पत्र क्रमांक 903 दिनांक 18.11.2021 के क्रम में।
2. श्रीमती कोमल जाट, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय, शाहपुरा (जयपुर)।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)